न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 12 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 40

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
गजाराम पुत्र नागजीराम, जाति कलबी, निवासी–पमाणा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	नागजीराम पुत्र मोतीराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 06.03.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 04.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 सभी हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होने से इनका परिवार हिन्दु विधि से शासित है। अप्रार्थी संख्या 1 नागजीराम प्रार्थी के पिता, प्रतिवादी संख्या 2 प्रार्थी का सगा भाई व अप्रार्थीया संख्या 3 प्रार्थी के सगे भाई की पत्नी है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पैतृक संपति की आराजी खसरा नंबर 1468 रकबा 2.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1329 रकबा 3.82 हैक्टेयर कुल रकबा 6.07 हैक्टेयर के सरहद मौजा पमाणा, तहसील–सांचोर के आये हुए है जो पुराने खसरा नंबर 539 व 313 से नवसृजित हुए है जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा जन्मसिद्ध अधिकार होने से प्रार्थी अपने नाम खातेदारी उद्घोषित का वाद पेश किया जाकर यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान को पेश है। वादग्रस्त आराजी मुलतः प्रार्थी के दादा मोती पुत्र पाता के नाम की थी मोती के फौत होने पर उताराधिकार के तौर पर प्रार्थी के पिता नागजी के नाम से दर्ज हुई जिसको अप्रार्थी को अपने नोशनल शेयर से ज्यादा भूमि व्ययनित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान को पेश है । वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है तथा 1 / 3 हिस्सा पर कब्जा काश्त प्रार्थी का तथा अभी प्रार्थी के हिस्से में प्रार्थी ने अरण्ड़ी की फसल पिलाई हुई है लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 के नाम हुए विधि विरूद्व इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी को बैदखल करने पर आमादा है जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायसंगत है। वादग्रस्त आराजी भी पैतृक संपति होने से प्रथम दृष्ट्या में केस प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है लेकिन

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

अप्रार्थीगण के नाम हुए विधिविरूद्व इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण, प्रार्थी को अपने हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है और यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका प्रार्थी उचित मुआवजा नहीं पा सकेगा। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि सरहद मौजा पमाणा के खेत खसरा नंबर 1329 रकबा 3.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1468 रकबा 2.25 हैक्टेयर कुल रकबा 6.07 हैक्टेयर का बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तांतरण वगैरह नहीं करें तथा वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा पमाणा के खसरा नंबर 1329 रकबा 3.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1468 रकबा 2.25 हैक्टेयर कुल रकबा 6.07 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **04.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर